326

न्यायालय – माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक II/ निगरानी / रीवा / भू0रा0 /2018/2343/2018

1. भारत भूषण पुत्र स्व0 इन्द्रजीतराम, आयु 65 साल,
2. अंजनी कुमार स्व0 इन्द्रजीतराम आयु 48 साल,

समस्त निवासीगण ग्राम एवं तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

—— आवेदकगण

श्री पी.के. तिवारी एड. द्वारा आज दि. 11-4-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

11-4-18

बनाम

श्रीमती अन्नपूर्णा तिवारी पत्नी धनेश्वर प्रसाद तिवारी, आयु 48, निवासी— ग्राम एवं तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

—— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, वृत्त गिर्द, त्योंथर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 15 / ए-3 / 17–18 के आदेश दिनांक 03.04.18 से

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक II/R/रीवा/भू.रा./18/2343, भारत भूषण / श्रीमती अन्नपूर्णा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
27/12/18	आवेदक की ओर से श्री पी० के० तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 15/A-3/17-18 में पारित आदेश दिनांक 03/04/18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03/04/19 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	